

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 08/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल, 2021

सा.का.नि.....(अ).- वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के था पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को, जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है, यथा:-

सारणी

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	28/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 13 मई, 2002, जिसे सा.का.नि. 361 (अ), दिनांक 13 मई, 2002 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
2.	11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 793 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण

	<p>राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।</p>	<p>अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है”, के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</p>
<p>3.</p>	<p>10/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 136 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।</p>	<p>उक्त अधिसूचना में, -</p> <p>(i) शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 की उपधारा (3) और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर), जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है”, के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</p> <p>(ii) शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है”, के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;</p>
<p>4.</p>	<p>11/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 137 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।</p>	<p>उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर), जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है”,</p>

		के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
5.	12/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 138 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर), जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है”, के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
6.	13/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 139 (अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर), जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है”, के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
7.	03/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.नि. 85 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।	उक्त अधिसूचना में, - (i) शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त विधेयक, 2021 के खंड 116 जो कर का अनंतिम संग्रह अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर, विधि का बल रखता है”, के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) शब्द, अंक और कोष्ठक वित्त विधेयक, 2021 (2021

		का 15) के पूर्वोक्त खंड 116”, के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की उक्त धारा 125” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
8.	05/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.नि. 87 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है”, के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
9.	06/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.नि. 88 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है”, के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(फाइल संख्या 354/41/2021-टीआरयू)

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

7. प्रधान अधिसूचना संख्या 03/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 को सा.का.नि. 85 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।
8. प्रधान अधिसूचना संख्या 05/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 को सा.का.नि. 87 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।
9. प्रधान अधिसूचना संख्या 06/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 को सा.का.नि. 88 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।